अंचल कार्यालय,महागामा

केश का प्रकार :–

अभिलेख संख्या :– 51/16-17

अपर समाहर्त्ता गोड्डा के पत्रांक 615/ रा0 दिनांक 17.05.2016 के आधार पर किया गया है जिसमें उन्होने श्री मति राजबाला बर्मा मुख्य सचिव झारखंड सरकार द्वारा संदेहास्पद जमाबंदी की अभियान चलाकर जाँच कर समयवद्ध प्रभाव कारी कदम उठाते हुए अवैध जमाबंदी रद्द कर अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु निदेश प्राप्त है। अतः पत्र कि प्रति सभी राजस्व कर्मचारियों को निर्गत करते हुए पत्र में वर्णित विन्दुओं पर जाँच प्रतिवेदन मांग की गई। उक्त पत्र के अनुपालन में हल्का कर्मचारी श्री शैलेन्द्र कु॰ वास्की वो अंचल निरीक्षक श्री नागेश्वर दास का जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है। जिसमें उन्होंने प्रतिवेदित किया है कि मौजा सुगवा थाना नं0 192 गैरमजरूआ खाता नं0 84/58 दाग नं0 32 रकवा 01-00-03 किस्म पहली कदीम श्री वैजनाथ हाँसदा पिता कारू हाँसदा ... साकिन .... के नाम से पंजी 2 में नया जमाबंदी कायम है। जो संदेहास्पद प्रतीत होता है। अतः श्री वैजनाथ हाँसदा को दिनांक .... समय .... पुर्वाहन् में उक्त भूमि प्राप्त करने से संबंधित दस्तावेज की मूल प्रति सत्यापन हेतु अधोहस्ताक्षरी के समक्ष, समर्पित करने का नोटिश निर्गत करें।

ह०/- आ०/ 16

अंचल अधिकारी,

महागामा।

2 अभिलेख उपस्थापित। नोटिस ~~तामिला~~ प्राप्त। पी॰ मोहम्मद ... अनुसेवक द्वारा नोटिस में प्रतिवेदित किया है कि वैजनाथ हाँसदा पिता कारू हाँसदा के संबंध में पता नहीं चला। अतः उक्त व्यक्ति/ उनके वारिसानो के संबंध में पता लगाने हेतु नोटिस निर्गत कर संबंधित हल्का कर्म० को दें। अभिलेख दिनांक ______ को रखें।

sandha

Scanned with CamScanner

7/6/19	अभिलेख उपस्थापित। नोटिस निर्गत करें। अंचल अधिकारी, महागामा।
19/6/19	अभिलेख उपस्थापित। नोटिस बिना तामिला का वापस
3/7/2021	अभिलेख उपस्थापित। नोटिस निर्गत करें। अं० अ० महागामा
05/01/2021	अभिलेख उपस्थापित। राजस्व उपनिरीक्षक-सह-प्रभारी अंचल निरीक्षक, महागामा से प्रसंगत भूमि का भौतिक प्रतिवेदन के साथ अभिलेखीय प्रतिवेदन प्राप्त हुआ। जिसका अवलोकन किया। प्रतिवेदनानुसार अवैध जेनहासपद पंजी-II रैयत का भूमि ECL क्षेत्र का अधिग्रहण क्षेत्र के अंतर्गत है। अतः उपरोक्त के आलोक में अभिलेख की कार्रवाई समाप्त की जाती है। लेखापित अं० अ० अंचल अधिकारी महागामा

सेवा में,

श्रीमान् अंचल अधिकारी,
महागामा।

विषय :— अवैध संदेहास्पाद वाद संख्या ...51.../2016–17 ...बैजनाथ हरिजन... पिता–...झारू हरिजन..., का जांच प्रतिवेदन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना हैं कि अवैध संदेहास्पाद वाद संख्या ......51.../2016–17 बैजनाथ हरिजन पिता–...झारू हरिजन............ का जांच प्रतिवेदन का जांच किया जांचोपरांत पाया कि प्रश्नगत भूमि मौजा–वसुआ, थाना नं0–692 के गैरमजरूआ खाता सं0–24/..58. के अंदर दाग नं0–32 का अंश रकवा .....01-00-03... धूर किस्म– परती–कदीम अंचल अधिकारी, महागामा/अनुमंडल पदाधिकरी, गोड्डा के ......R.F....... केश नं0–.../6/66-67.............. के माध्यम से बैजनाथ हरिजन... पिता–...झारू हरिजन.... को प्राप्त हुआ है, जिसकी छायाप्रति संलग्न है। प्रश्नगत भूमि ई0सी0एल0 के द्वारा अधिग्रहण कर लिया गया है।

अतः उपरोक्त के आलोक में उक्त जमाबंदी को सही मानते हुये अभिलेख की कार्रवाई बंद की जा सकती है। जांच प्रतिवेदन सादर सूचनार्थ समर्पित।

विश्वासभाजन

12/8/

Digitally signed by RANJAN YADAV
Date: 2021.09.22 00:46:49 -07:00
Location: 192.168.8.108

F:PK/496

Scanned with CamScanner